

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

UPSSC, PRAYAGRAJ



सहायक अध्यापक प्राथमिक, शहरी (URBAN)

बेसिक शिक्षा विभाग

सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय)

माध्यमिक शिक्षा विभाग

चयन परीक्षा, 2026

विज्ञापन संख्या— 05 / 2026

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, 23 एलनगंज,

प्रयागराज—211002

www.upessc.up.gov.in



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज-211002

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
2.	ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना	2-3
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश	3-4
4.	परीक्षा शुल्क	4
5.	रिक्तियों का विवरण	4
6.	आरक्षण, आयु सीमा तथा वेतनमान	4-6
7.	अनिवार्य योग्यता/शैक्षिक अर्हताएँ	6
8.	परीक्षा केन्द्र	6-7
9.	परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम	7
10.	लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश	7-9
11.	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश	9
12.	अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश	10
13.	अधिमानता	10
14.	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्देश	10-11
15.	सारणी 01 : सहायक अध्यापक प्राथमिक, शहरी (URBAN) (बेसिक शिक्षा विभाग) पद हेतु रिक्त पदों का विवरण	13-14
16.	सारणी 02 : सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी, बालक/बालिका (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) पद हेतु रिक्त पदों का विवरण	15
17.	परिशिष्ट 1 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप	16
18.	परिशिष्ट 2 : अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप	17
19.	परिशिष्ट 3 : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र का प्रारूप	18-19
20.	परिशिष्ट 4 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप	20
21.	परिशिष्ट 5 : दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का प्रारूप	21-22
22.	परिशिष्ट 6 : शपथ-पत्र का प्रारूप	23



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज-211002

विज्ञापन संख्या : 05 / 2026

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	15.09.2026
ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.) / आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	16.09.2026
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	15.10.2026
ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अन्तिम तिथि	19.10.2026
परीक्षा तिथि	03 व 04 दिसम्बर, 2026

2. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना :-

- 2.1 आयोग के विज्ञापन सं०-05/2026 द्वारा उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त 11508 पदों तथा सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी, बालक/बालिका (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) के 897 पदों का विवरण क्रमशः सारणी-01 व 02 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना है।
- 2.2 प्रश्नगत पदों हेतु OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन पद्धति (OTR Based Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को One Time Registration(OTR) करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही आवेदन किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए User Manual हिन्दी व अंग्रेजी में तथा प्रशिक्षण वीडियो (Tutorial Videos) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिन्हें आवेदन करने से पूर्व देखा जा सकता है।
- 2.4 ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से "सबमिट" हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेन्डर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अन्तिम हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 2.5 उपर्युक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन हेतु अभ्यर्थियों को वरीयता सम्बन्धी विकल्प भरना अनिवार्य होगा, जिसमें अन्तिम तिथि के बाद कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 2.6 आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में पृथक से कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करना चाहिये जब सन्तुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 2.7 निर्धारित साइज की फोटो तथा स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड न करने एवं घोषणा-पत्र स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

- 2.8** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी घोषणा (Declaration) सत्य नहीं पाये जाने पर **अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए** आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन/परीक्षाओं से प्रतिवारित (डिबार) करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 2.9** आवेदन स्वीकार किये जाने की **अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अनिवार्य अर्हताएँ** अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु विज्ञापन में दी गयी सभी अर्हताएँ धारित करते हैं। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 2.10** हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 2.11** अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में भरा जाना है।
- 2.12** आवेदन पत्र में त्रुटि निवारण हेतु संशोधन करने का अवसर मिलेगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने पर आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।
- 2.13** अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर सफेद पृष्ठभूमि के साथ स्कैन करके JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच हो तथा 140X110 Pixel का Resolution हो। इसी प्रकार पासपोर्ट साइज फोटो, जिसकी साइज 30 KB से 300 KB के बीच हो तथा Pixel Resolution 300 से 600 के बीच हो भी अपलोड करना होगा।
- 2.14** सभी अपलोड किये जाने वाले प्रमाण-पत्र/अभिलेख PDF Format में होने चाहिए तथा उनकी साइज 50KB से 500KB के बीच होनी चाहिए।
- 2.15** आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के पश्चात **प्रस्तर-4** में उल्लिखित शुल्क जमा करना होगा।
- 2.16** अभ्यर्थी आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट करके उसकी तीन प्रतियाँ भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें, जिनमें से दो प्रतियाँ अभिलेख सत्यापन के समय **प्रस्तर-14** में उल्लिखित अभिलेखों के साथ अलग-अलग 2 सेट तैयार कर आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 2.17** किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयन से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.18** अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

3. परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश :-

- 3.1** अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हुए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।
- क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग**
- 3.2** अभ्यर्थी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए पंजीकरण के तुरंत बाद पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 3.3** क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करने की दशा में भुगतान की पुष्टि भुगतान के बाद बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। भुगतान की पुष्टि बैंक द्वारा किये जाने के उपरांत ही परीक्षा शुल्क का भुगतान मान्य होगा।

3.4 शुल्क भुगतान करने के उपरान्त शुल्क प्राप्ति रसीद को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी One Time Registration व भुगतान कम्पलीट करने के पश्चात आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं करता तो उसका आवेदन मान्य नहीं होगा।

4. परीक्षा शुल्क :-

उक्त पदों हेतु परीक्षा शुल्क निम्नवत निर्धारित है :-

क्र०सं०	श्रेणी	परीक्षा शुल्क
1.	सामान्य/अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य	1,000.00
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	500.00
3.	दिव्यांगजन	300.00

5. रिक्तियों का विवरण :-

5.1 शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त 11508 पदों तथा सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) हेतु बालक विद्यालयों के 473 तथा बालिका विद्यालयों के 424 कुल 897 पदों का विवरण क्रमशः सारणी-01 व 02 पर उपलब्ध है।

5.2 रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

6. आरक्षण, आयु सीमा तथा वेतनमान :-

6.(क) आरक्षण :- (i)(अ) सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायक अध्यापक प्राथमिक, शहरी (URBAN) के 11508 पदों के अध्यापन के अनुसार लम्बवत् व क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निर्धारित पदों का विवरण सारणी-01 पर उपलब्ध है।

(ब) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) हेतु बालक विद्यालयों के 473 तथा बालिका विद्यालयों के 424 कुल 897 पदों के अध्यापन के अनुसार लम्बवत् आरक्षण के अन्तर्गत निर्धारित पदों का विवरण सारणी-02 पर उपलब्ध है।

(ब.ii) क्षैतिज आरक्षण :- नियमानुसार।

(ii) भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य :- उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी कोटि में योद्धक (Combatant) या अयोद्धक (Non Combatant) के रूप में सेवा की हो और जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। इस प्रकार आवेदन करते समय या आवेदन की अंतिम तिथि तक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें ही भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य किया जायेगा।

(iii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का तात्पर्य :- किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सन्दर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित) और पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) और विवाहित अथवा अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) से है।

(iv) शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य :- शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं

(a) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(b) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;

(c) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

- (d) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगत निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;
 (e) खण्ड 'a' से 'd' के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है, से है।

नोट 1:- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये **सहायक अध्यापक, शहरी (URBAN)** पद को दिव्यांग अभ्यर्थियों की VI/LI/HI/THALASSEMIA उपश्रेणियों हेतु चिन्होक्त होने की सूचना दी है।

नोट 2:- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० ने **सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी** पद को दिव्यांग अभ्यर्थियों की O.A/O.L/B.B.A/L.V/D/H.H/L.C/D.W/A.A.V/A.S.D/S.L.D/I.D/M.I/B.L/B.L.A/B.H/M.D.Y उपश्रेणियों हेतु चिन्होक्त होने की सूचना दी है।

नोट 3:- उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है :-

“दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।”

- (v) उ०प्र० लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 जो दिनांक 01.02.2019 को प्रवृत्त हुआ है :-
- (a) इस अधिनियम की धारा 3-(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली 10 प्रतिशत रिक्तियाँ नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।
- (b) इस अधिनियम के अधीन उ०प्र० राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (c) इस अधिनियम की धारा 3-(2) के अनुसार “इस धारा के अधीन आरक्षण उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन उपबन्धित आरक्षण के अतिरिक्त होगा।”
- (d) इस अधिनियम की धारा 3-(5) के अनुसार “यदि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसके उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा।”
- (e) इस अधिनियम की धारा 3-(6) के अनुसार “जहाँ किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई निश्चित की गयी रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके वहाँ ऐसी रिक्तियाँ आगामी वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं की जायेंगी और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जायेगी।”

6.(ख) आयु सीमा :-

6.(ख)(i)

- (a) **सहायक अध्यापक, शहरी (URBAN)** पद की न्यूनतम आयु दिनांक 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है।

- (b) सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) पद की न्यूनतम आयु दिनांक 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष निर्धारित है। पद की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष है।

6.(ख)(ii) सहायक अध्यापक, शहरी (URBAN) पद हेतु आयु सीमा में छूट :-

- (a) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
- (b) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (c) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि के अतिरिक्त 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
- (d) शिक्षा मित्र के मामले में अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक होगी।

6.(ग) वेतनमान :-

क्र.सं.	पदनाम	लेवल / वेतनमान
1.	सहायक अध्यापक, शहरी (URBAN)	(लेवल-6) न्यूनतम ₹ 35,400 अधिकतम ₹ 1,12,400
2.	सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय)	(लेवल-6) न्यूनतम ₹ 35,400 अधिकतम ₹ 1,12,400

7. अनिवार्य योग्यता / शैक्षिक अर्हताएँ :-

क्र.सं.	पदनाम	अर्हता
1.	सहायक अध्यापक, शहरी (URBAN)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ऐसी प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण-पत्र (बी०टी०सी०), द्विवर्षीय बी०टी०सी०(उर्दू), विशिष्ट बी०टी०सी०, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या प्रारम्भिक शिक्षा (बी०एल०एड०) में चार वर्षीय उपाधि, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता, संनियम और प्रक्रिया) विनियमावली, 2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा (जिस भी नाम से ज्ञात हो) द्विवर्षीय डिप्लोमा और राज्य सरकार या भारत सरकार संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। नोट :- वर्तमान समय में बी०टी०सी० कोर्स डी०एल०एड० कोर्स के नाम से संचालित किया जा रहा है।
2.	सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि तथा (दो) एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बी०टी०सी० (B.T.C.) अथवा डी०एल०एड० (D.L.Ed.) की उपाधि तथा (तीन) उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित कक्षा 01 से कक्षा 05 हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) सफलता पूर्वक उत्तीर्ण किये हों।

- 8. परीक्षा केन्द्र :-** परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण यथा आवश्यकतानुसार जनपद मुख्यालयों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को कोई भी केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र के जनपद की सूचना परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व तथा परीक्षा केन्द्र की सूचना परीक्षा से 3 दिन पूर्व आयोग के वेबसाइट पर दिये गये लिंक से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

नोट :- यदि कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र से इतर केन्द्र में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

9. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :-

9.(क) परीक्षा योजना :-

- सहायक अध्यापक, शहरी (URBAN) तथा सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) के पदों पर चयन की कार्यवाही 360 अंकों की लिखित परीक्षा जो 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, की श्रेष्ठता सूची से की जायेगी।
यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम स्नातक का प्रतिशत देखा जायेगा एवं स्नातक का प्रतिशत समान होने पर प्रशिक्षण अर्हता का प्रतिशत देखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा, स्नातक का प्रतिशत तथा प्रशिक्षण अर्हता के प्रतिशत अंक समान हैं तो उस अभ्यर्थी का नाम जो अधिक आयु का हो, उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- लिखित परीक्षा की अवधि 02:00 घण्टे की होगी।
- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple Choice Question) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प दिये रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काले बाल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर दिये जाने पर 03 अंक देय होगा तथा गलत/एकाधिक उत्तर दिये जाने के लिए 01 अंक घटा (Minus Marking) दिये जायेंगे।
- प्रश्न-पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषा में होगा।
- लिखित परीक्षा के कटऑफ एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

विशेष नोट :- यदि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करायी जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक ही चयन हेतु मान्य किये जायेंगे। आवेदन पत्रों की अत्यधिक संख्या होने की स्थिति में शासनादेश संख्या-6/2024/148/सामान्य/47/का-4-2024 दिनांक 19 जून, 2024 में विहित प्राविधानों के क्रम में परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित करायी जाती है तो प्राप्तांकों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु प्रसामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर नार्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना/विज्ञप्ति संख्या-शि0से0आयोग/2018/2025-26 दिनांक 26.02.2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा की जायेगी एवं अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत (Normalized) अंक ही चयन हेतु मान्य होंगे।

9.(ख) पाठ्यक्रम :- सहायक अध्यापक, शहरी(URBAN) तथा सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

10. लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :-

10.1 परीक्षा की तिथि, स्थान, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को SMS, ई-मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

- 10.2 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को मुख्य पृष्ठ पर दिए गए "Admit Card Download" बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर/मोबाइल नम्बर तथा जन्म तिथि अंकित करनी होगी।
- 10.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगे, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुत भी कर दिया गया हो, तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 10.4 कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 10.5 अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ अवश्य लाएंगें तथा ओ०एम०आर० शीट के आयताकार खानों व गोलों को काले बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक गोला काला करने पर उसका न तो मूल्यांकन होगा और न उस पर कोई अंक ही दिये जाएंगे।
- 10.6 परीक्षा के दौरान ओ०एम०आर० शीट पर मिटाने के लिए इरेजर/नाखून/ब्लेड/सफेद तरल पदार्थ/(Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार से क्षति ग्रस्त किया जाना निषिद्ध है। इनके किसी भी प्रयोग से ओ०एम०आर० शीट निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- 10.7 अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना से सम्बन्धित खानों को सही-सही भरें तथा उनसे सम्बन्धित गोलों को ही काला करें, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर-पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 10.8 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) में सम्बन्धित गोलों को ही पूरी तरह काला करें इसके अतिरिक्त किसी भी गोलों में कोई अन्य निशान जैसे डॉट, स्याही के निशान या कोई भी चिन्ह अंकित न करें अन्यथा उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 10.9 अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) के प्रारूप को डाउनलोड करके परीक्षा से पूर्व ओ०एम०आर० की प्रविष्टियों को भरने का अभ्यास कर लें, जिससे परीक्षा के दौरान ओ०एम०आर० को भरने में त्रुटियाँ न हो।
- 10.10 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 एवं 08 सितम्बर, 2022 के अनुसार श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुतलेखक अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा।

श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अवश्य करा लें, ताकि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथासमय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुतलेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

10.11 लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले कि वे **सहायक अध्यापक, शहरी(URBAN)** तथा **सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय)** पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ पूरी करते हैं। निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से **सहायक अध्यापक, शहरी(URBAN)** तथा **सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय)** पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।

10.12 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश :-

11.1 उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.2 एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।

11.3 आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें इन वर्गों को मिलने वाली छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

11.4 आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित जाति प्रमाण-पत्र उ0प्र0 शासन के निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

11.5 ऐसे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुक्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर हो।

11.6 ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो।

11.7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14.03.2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

12. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश :-

- 12.1** अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ही दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन हेतु वरीयता सम्बन्धी विकल्प भरना अनिवार्य होगा।
- 12.2** अभ्यर्थी द्वारा अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसे आयोग द्वारा माँगे जाने पर अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 12.3** ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति हैं अथवा ऐसी महिला/पुरुष अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया है, जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी/पति है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 12.4** अभ्यर्थी के विरुद्ध मा0 न्यायालय में वाद दायर होने अथवा न होने या मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति में यदि भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा सूचना न दिये जाने अथवा छुपाये जाने या गलत सूचना दिये जाने संबंधी जानकारी आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- 12.5** कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।
- 12.6** किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी से नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।
- 12.7** अभ्यर्थी द्वारा किसी श्रेणी विशेष (ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी एवं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी) में आवेदन करने के उपरान्त उस श्रेणी के अन्तर्गत चयनित होने की दशा में उसे सम्बन्धित श्रेणी का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य आरक्षण श्रेणी अथवा उसकी मूल ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी में चयनित नहीं माना जा सकता। अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया चयन एवं उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 12.8** किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम आयोग को प्रत्यावेदन देना होगा।
- 12.9** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होने की स्थिति में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर अथवा ई-मेल आई०डी० पर सम्पर्क कर कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं :-

	Technical Support (Application Related Issue)	Bank Payment Support (Payment Related Issue)		UPESSC Commission Support
		ICICI BANK	UNION BANK	
Mob. No.	08448573939 (09:30 AM - 06:00 PM) (Monday - Saturday)	8879370946, 8657723283 (09:30 AM - 06:30 PM) (Working Days)	9137551970 (09:30 AM - 06:30 PM)	0532-2466851 (10:00 AM - 05:00 PM) (Monday - Saturday)
E-mail	Support@upessc.org	Amita.kurmi@icici.bank.in Pawan.si@icici.bank.in	pgsupport@billdesk.com	upesscprayagraj@gmail.com

- 13. अधिमानता :-** अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विद्यालयों का आवंटन सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

14. अभिलेख सत्यापन के लिए निर्देश :-

- 14.1 लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर अभिलेख सत्यापन के लिए शार्टलिस्टेड (Shortlisted) अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की तिथि, समय व स्थान की सूचना SMS, ई-मेल समाचार पत्र एवं आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 14.2 अभिलेख सत्यापन की सूचना प्राप्त होने पर अभिलेख सत्यापन के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाकर अभिलेख सत्यापन पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।
- 14.3 अभिलेख सत्यापन के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 14.4 अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की तिथि पर **परिशिष्ट-6** पर उपलब्ध प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा।
- 14.5 आनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ-साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंकपत्र, प्रमाण-पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
 1. आनलाइन आवेदन पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 2. हाईस्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 3. इण्टरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 4. स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 5. बी०टी०सी०/डी०एल०एड०/द्विवर्षीय बी०टी०सी०(उर्दू)/विशिष्ट बी०टी०सी०/भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित(विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा/प्रारम्भिक शिक्षा(बी०एल०एड०) में चार वर्षीय उपाधि/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता, संनियम और प्रक्रिया)विनियमावली, 2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 6. राज्य सरकार या भारत सरकार संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ।
 7. अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए)
 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र (केवल उ०प्र० राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (**क्रमशः परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर**)
 9. दिव्यांग होने का प्रमाण-पत्र (केवल उ० प्र० राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (**परिशिष्ट-5 पर**)
 10. शपथ-पत्र की दो प्रतियाँ (**परिशिष्ट-6 पर**)
 11. अन्तिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 12. दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 13. मा० न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने अथवा न होने एवं वाद दायर होने की स्थिति में मा० न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र

नोट :-

1. अभिलेख सत्यापन के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा उपर्युक्त सभी अंक-पत्रों व प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के दो पृथक-पृथक सेट तथा उक्त समस्त के मूल अभिलेख सत्यापन के समय साथ लाना सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनका अभिलेख सत्यापन संभव नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

2. अभिलेख सत्यापन तिथि में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन तिथि में परिवर्तन का अनुरोध न करें।
3. यदि आयोग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में अभिलेख सत्यापन तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तत्संबंधी सूचना सम्बंधित अभ्यर्थियों को SMS/E-mail /पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
4. अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दैनिक-भत्ता/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. ऐसे वांछित अभिलेख, जो कि अभ्यर्थी से सम्बंधित नहीं है, संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
6. परिशिष्ट 1 से 6 तक के प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

UPPSSC

सारणी-1

शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

S.N.	Name of District	Total Post	UR	EWS	OBC	SC	ST	Handicap ped	VI	LI	HI	THALA SSEMIA	VI/LI/HI/TH ALASSEMIA (as per merit)	Dependents of freedom fighters	Ex- Army
1	AGRA	315	127	31	85	66	6	12	3	3	3	3	0	6	15
2	ALIGARH	492	199	49	132	103	9	19	4	4	4	4	3	9	24
3	AMBEDKAR NAGAR	29	14	2	7	6	0	1	0	0	0	0	1	0	1
4	AMETHI (C.S.M. NAGAR)	28	14	2	7	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1
5	AMROHA	230	93	23	62	48	4	9	2	2	2	2	1	4	11
6	AURRAIYA	39	18	3	10	8	0	1	0	0	0	0	1	0	1
7	AYODHYA (FAIZABAD)	52	22	5	14	10	1	2	0	0	0	0	2	1	2
8	AZAMGARH	122	51	12	32	25	2	4	1	1	1	1	0	2	6
9	BADAUN	196	81	19	52	41	3	7	1	1	1	1	3	3	9
10	BAGHPAT	35	16	3	9	7	0	1	0	0	0	0	1	0	1
11	BAHRAICH	140	58	14	37	29	2	5	1	1	1	1	1	2	7
12	BALLIA	121	50	12	32	25	2	4	1	1	1	1	0	2	6
13	BALRAMPUR	52	22	5	14	10	1	2	0	0	0	0	2	1	2
14	BANDA	52	22	5	14	10	1	2	0	0	0	0	2	1	2
15	BARABANKI	44	20	4	11	9	0	1	0	0	0	0	1	0	2
16	BAREILLY	888	358	88	239	186	17	35	8	8	8	8	3	17	44
17	BASTI	131	54	13	35	27	2	5	1	1	1	1	1	2	6
18	BIJNOR	59	26	5	15	12	1	2	0	0	0	0	2	1	2
19	BULAND SHAHAR	245	100	24	66	51	4	9	2	2	2	2	1	4	12
20	CHANDAULI	15	7	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	CHITRAKUT	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	DEORIA	131	54	13	35	27	2	5	1	1	1	1	1	2	6
23	ETAH	151	62	15	40	31	3	6	1	1	1	1	2	3	7
24	ETAWAH	125	52	12	33	26	2	5	1	1	1	1	1	2	6
25	FATEHGARH (FARRUKHABAD)	315	127	31	85	66	6	12	3	3	3	3	0	6	15
26	FATEHPUR	95	41	9	25	19	1	3	0	0	0	0	3	1	4
27	FIROZABAD	245	100	24	66	51	4	9	2	2	2	2	1	4	12
28	GAUTAM BUDDH NAGAR	6	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	GHAZIABAD	405	163	40	109	85	8	16	4	4	4	4	0	8	20
30	GHAZIPUR	54	23	5	14	11	1	2	0	0	0	0	2	1	2
31	GONDA	66	29	6	17	13	1	2	0	0	0	0	2	1	3
32	GORAKHPUR	166	69	16	44	34	3	6	1	1	1	1	2	3	8
33	HAMIRPUR	105	43	10	28	22	2	4	1	1	1	1	0	2	5
34	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	108	45	10	29	22	2	4	1	1	1	1	0	2	5
35	HARDOI	166	69	16	44	34	3	6	1	1	1	1	2	3	8
36	HATHRAS	113	47	11	30	23	2	4	1	1	1	1	0	2	5
37	JALAUN	232	95	23	62	48	4	9	2	2	2	2	1	4	11
38	JAUNPUR	151	62	15	40	31	3	6	1	1	1	1	2	3	7
39	JHANSI	30	13	3	8	6	0	1	0	0	0	0	1	0	1
40	KANNAUJ	48	22	4	12	10	0	1	0	0	0	0	1	0	2
41	KANPUR DEHAT	12	6	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KANPUR NAGAR	758	305	75	204	159	15	30	7	7	7	7	2	15	37
43	KASGANJ (KANSHIRAM NAGAR)	128	54	12	34	26	2	5	1	1	1	1	1	2	6
44	KAUSHAMBI	75	32	7	20	15	1	3	0	0	0	0	3	1	3
45	KUSHINAGAR	8	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	LAKHIMPUR KHIRI	154	63	15	41	32	3	6	1	1	1	1	2	3	7
47	LALITPUR	68	29	6	18	14	1	2	0	0	0	0	2	1	3
48	LUCKNOW	444	180	44	119	93	8	17	4	4	4	4	1	8	22
49	MAHARAJGANJ	19	10	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MAHOBA	56	24	5	15	11	1	2	0	0	0	0	2	1	2
51	MAINPURI	64	27	6	17	13	1	2	0	0	0	0	2	1	3
52	MATHURA	255	104	25	68	53	5	10	2	2	2	2	2	5	12

S.N.	Name of District	Total Post	UR	EWS	OBC	SC	ST	Handicap ped	VI	LI	HI	THALA SSEMIA	VI/LI/HI/TH ALASSEMIA (as per merit)	Dependents of freedom fighters	Ex-Army
53	MAU	54	23	5	14	11	1	2	0	0	0	0	2	1	2
54	MEERUT	635	256	63	171	133	12	25	6	6	6	6	1	12	31
55	MIRZAPUR	168	69	16	45	35	3	6	1	1	1	1	2	3	8
56	MORADABAD	127	53	12	34	26	2	5	1	1	1	1	1	2	6
57	MUZAFFAR NAGAR	186	76	18	50	39	3	7	1	1	1	1	3	3	9
58	PILIBHIT	166	69	16	44	34	3	6	1	1	1	1	2	3	8
59	PRATAPGARH	107	45	10	28	22	2	4	1	1	1	1	0	2	5
60	PRAYAGRAJ	32	15	3	8	6	0	1	0	0	0	0	1	0	1
61	RAEBARELI	91	38	9	24	19	1	3	0	0	0	0	3	1	4
62	RAMPUR	129	54	12	34	27	2	5	1	1	1	1	1	2	6
63	SAHARANPUR	448	182	44	120	94	8	17	4	4	4	4	1	8	22
64	SAMBHAL (BHEEM NAGAR)	66	29	6	17	13	1	2	0	0	0	0	2	1	3
65	SANT KABIR NAGAR	62	27	6	16	12	1	2	0	0	0	0	2	1	3
66	SANT RAVIDAS NAGAR	79	34	7	21	16	1	3	0	0	0	0	3	1	3
67	SHAHJAHANPUR	123	51	12	33	25	2	4	1	1	1	1	0	2	6
68	SHAMLI (PRABUDHHA NAGAR)	161	66	16	43	33	3	6	1	1	1	1	2	3	8
69	SHRAVASTI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	SIDHARTH NAGAR	152	62	15	41	31	3	6	1	1	1	1	2	3	7
71	SITAPUR	111	46	11	29	23	2	4	1	1	1	1	0	2	5
72	SONBHADRA	20	9	2	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
73	SULTANPUR	42	19	4	11	8	0	1	0	0	0	0	1	0	2
74	UNNAO	128	54	12	34	26	2	5	1	1	1	1	1	2	6
75	VARANASI	378	153	37	102	79	7	15	3	3	3	3	3	7	18
TOTAL		11508	4746	1116	3069	2379	198	429	83	83	83	83	97	198	540

सारणी-2

सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) पद का विवरण																		
पद का नाम	बालक विद्यालयों के अध्याचित लम्बवत आरक्षित पदों का श्रेणीवार समेकित योग						बालिका विद्यालयों के अध्याचित लम्बवत आरक्षित पदों का श्रेणीवार समेकित योग						लम्बवत आरक्षण					
													बालक एवं बालिका वर्ग के कुल अध्याचित पदों का सम्मिलित श्रेणीवार समेकित योग					
	General	SC	ST	OBC	EWS	Total	General	SC	ST	OBC	EWS	Total	General	SC	ST	OBC	EWS	Total
सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी	196	189	0	84	4	473	182	159	0	80	3	424	378	348	0	164	7	897
कुल	196	189	0	84	4	473	182	159	0	80	3	424	378	348	0	164	7	897

परिशिष्ट-1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम..... तहसील नगर जिला
उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,
1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश आदेश
1967) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में
सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मुहर

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-2

उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री
.....निवासी ग्रामतहसील.....नगर.....
जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)
अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम 1994
(यथासंशोधित) की अनुसूची दो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित
जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके
माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं
है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के.....ग्राम तहसील.....नगर..... जिला.....
..... में सामान्यता रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

मुहर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद का नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-जग.संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.।। दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-4

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)के आश्रित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी.....

सील.....

परिशिष्ट-5

The form of certificate to be produced by Physically Handicapped candidates

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

Date:.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.son/wife/daughter of
Shri..... agesexidentification mark(s).....
.....is suffering from permanent disability of following category :

A. Locomotor or Cerebral Palsy :

- (i) BL—Both legs affected but not arms
- (ii) BA—Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA—Both legs and both arms affected
- (iv) OL—One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA—One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH—Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
- (vii) MW—Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision :

- (i) B—Blind
- (ii) PB—Partially blind

C. Hearing impairment :

- (i) D—Deaf
- (ii) PD—Partially deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of.....years.....months.*
3. Percentage of disability in his/her case is.....Percent.

4. Shri/Smt./Kum.meets the following physical requirements for discharge of his/her duties :—

- | | | |
|--------|--|--------|
| (i) | F—Can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) | PP—Can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) | L—Can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) | KC—Can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) | B—Can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) | S—Can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) | ST—Can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) | W—Can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) | SE—Can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) | H—Can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) | RW—Canperformworkbyreadingandwriting. | Yes/No |

(Dr.....)
Member
Medical Board

(Dr.)
Member
Medical Board

(Dr.)
Chairman
Medical Board

Countersigned by the Medical
Superintendent/CMO/Head of Hospital
(With seal)

NOTE* Strike out which is not applicable

परिशिष्ट-6

शपथ-पत्र

1. मैंने विज्ञापन संख्या में विनिहित अनुदेश/निर्देश को भली भाँति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन किया है और मैं उक्त सभी अनुदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।
2. ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरी गयी हैं, जो तथ्यात्मक, सत्य एवं पूर्ण हैं। आवेदन-पत्र में की गयी सभी प्रविष्टियाँ एवं आयोग को उपलब्ध करायी गयी स्वप्रमाणित संलग्नकों में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा फर्जी पाये जाने पर मैं स्वयं का उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।
3. किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा मुझे किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए न तो दंडित किया गया है और न ही किसी भी नियुक्ति हेतु आवेदन करने से प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मामला न तो दर्ज है और न ही प्रचलित है।
4. विज्ञापन संख्या के चयन से सम्बन्धित योजित वादों में मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्णतया पालन करूँगा/करूँगी। चयन के उपरान्त अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होने पर आयोग से किसी प्रकार के वित्तीय अनुतोष की माँग नहीं करूँगा/करूँगी
5. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सभी प्रविष्टियाँ एवं उपलब्ध कराये गये सभी अभिलेख/प्रमाण-पत्र सही हैं। आनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियाँ अथवा आयोग को उपलब्ध कराये गये अभिलेख/प्रमाण-पत्र फर्जी/असत्य पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन निरस्त करने अथवा भविष्य में अन्य विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने से प्रतिबन्धित करने का आयोग को पूर्ण अधिकार होगा। आयोग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के लिये मैं किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

प्रार्थी